उनके द्वारा नई एजेन्सियां लगातार आवंटित की जा रही हैं;

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वितरित कनैक्शनों की असमान संख्या के क्या कारण हैं;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा गैस एजेन्सियों के आवंटन के सम्बन्ध में अलग-अलग मानदण्ड अपनाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक, प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या, जिस बाजार में डिस्ट्रीब्यूटर प्रचालन कर रहा है उस बाजार में डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए नियत अधिकतम सीमा तथा सरकार द्वारा संबद्ध तेल कंपनी को आबंटित एल. पी. जी. कनैक्शनों की कुल संख्या के आधार पर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को एल. पी. जी. कनैक्शन जारी किए जाते हैं। एल. पी. जी. के नये डिस्ट्रीब्यूटरों को आरंभ में अधिक कनैक्शन जारी किए जाते हैं ताकि वे व्यवहार्यता स्तर तक पहुंच सकें।

(ख) और (ग) आई. ओ. सी., एच. पी. सी., बी. पी. सी. को जारी किए गए एल. पी. जी. के नये कनैक्शनों का हिस्सा 50:25:25 के अनुपात में है। तेल कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने हिस्से में से नये कनैक्शन जारी करती हैं।

Post Offices in the Country

676. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 4497 given in the Rajya Sabha on 3rd May, 1995 and state the number of post offices in the country and the number out of them in rural areas?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): The mumber of post offices in the country is 1,52,792 as on 31.3.95 and out of these, 1,36,082 are in rural areas.

दूरसंचार जिला प्रबंधक के विरुद्ध शिकायतें

677. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अगस्त, 1995 से फरवरी, 1996 के दौरान, दूरसंचार जिला प्रबंधक, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अपने पद का दुरूपयोग करने, जाति-वादी रवैया अपनाने और भेद-भाव बरतने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अधिकारी को हटाने की मांग की गई थी और क्या उस संबंध में जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) दो-तीन व्यक्तियों से केबल की चोरी, केबल न बिछाने, इंसपेक्शन क्वार्टरों के नवीकरण और स्थानीय खरीददारी आदि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) इन शिकायतों की विभागीय जांच की गई और आरोप सिद्ध नहीं हुए।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सीमा पर बाड़ लगाने को रोकना

678. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान भारत-पाक सीमा पर भारत को बाड़ लगाने से रोकने के लिये भारी गोलाबारी के साथ-साथ "टो" प्रक्षेपास्त्र दागने की तैयारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या आवश्यक उपाय किये हैं; और

(ग) इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) से (ग) हमारे पास "टो" प्रक्षेपास्त्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तान रुक-रुक कर गोलीबारी करता रहा है। सीमा सुरक्षा बल इसका प्रभावकारी ढंग से जबाव देता आ रहा है। इसके अलावा, बल को अतिरिक्त कुमुक उपलब्ध कराई गई है तथा इसकी गोलीबारी की क्षमता को सुदृढ़ किया गया है।